



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 28 -अ० प्र०(2अ)/पा० का० लि० / 2014


दिनांक: 28 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा श्री ओम प्रकाश यादव-86148, अधिशासी अभियन्ता (वै० एवं या०) को उनके कनिष्ठ श्री महेश चन्द्र-86077 की प्रोन्नति की तिथि 01.01.2014 से अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता, (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधिशासी अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री ओम प्रकाश यादव-86148 कानपुर, 31.01.2021	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

- 2- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निवेशित याचिका संख्या ए-नम्बर-38372/2013 -अनूप चन्द्र एवं 5 अन्य बनाम स्टेट आफ यू० पी० एवं 34 अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
- 3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- 4- आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
- 5- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- 6- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- 7- उपरोक्त अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा।


28/02/2014

प्रबन्ध निदेशक




संख्या: 28-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0वर टा0का0 लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांन्समिशन का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,



28/02/2014

(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)

उप सचिव